वाद सं. 28/13 सज्जन देवी/नगर सुधार न्यास

1—9—2018

अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित।

वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 9 सीपीसी. व प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 148 सपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता वादी ने अपने प्रार्थनापत्र आदेश 8 नियम 8 सीपीसी. के अनुरूप तर्क प्रस्तुत किया कि प्रतिवादीगण सं.3 द्वारा दिये गए जवाब में नये तथ्य उठाए गए हैं जिनका जवाबुल जवाब पेश किया जाना आवश्यक है। अतः जवाबुल जवाब रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया।

इसके विरोध में अधिवक्ता प्रतिवादी ने तर्क प्रस्तुत किया कि वादी ने प्रार्थनापत्र में यह उल्लेख नहीं किया है कि जवाबदावा में कौनसे नए अभिकथन किये हैं तथा प्रार्थनापत्र विधिक प्रावधानों के अनुकूल न होने से खारिज करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जवाबुल जवाब का अवलोकन किया गया। वादी अपने प्रार्थनापत्र के जरिये जो तथ्य पेश करना चाहता हैं उन तथ्यों को साबित करने का भार स्वयं वादी का है। यदि उक्त तथ्यों को पत्रावली पर लिया जाता है तो इससे प्रतिवादी के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पडने की सम्भावना नहीं है क्यों कि प्रतिवादी को उक्त तथ्यों पर जिरह करने का सम्पूर्ण अवसर प्राप्त होगा तथा जवाबुल जवाब के जरिये जो नए तथ्य लाए हैं उन्हें साबित करने का भार भी वादी का है।

ऐसी स्थिति में वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार करना न्यायोचित पाया जाता है।

लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 8 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी. स्वीकार किया जाकर जवाबुल जवाब को रिकार्ड पर लिया जाता हैं।

————

अधिवक्ता प्रतिवादी सं.1 द्वारा अपने प्रार्थनापत्र धारा 148 सपठित धारा 151 सीपसी. के अनुरूप तर्क प्रस्तुत किया गया कि गत पेशी दिनांक 19–8–17 को प्रतिवादी का जवाबदावा बंद किया गया था, प्रतिवादी एक संस्था होकर जन हित के कार्य करती है। वाद पेश किया गया तब अन्य अधिवक्ता थे तथा वर्तमान में अन्य अधिवक्ता हैंप्रतिवादी की भूल मानवीय भूल होने के कारण क्षम्य है अतः जवाबदावे को रिकार्ड पर लेकर सदभाविक भूल क्षम्य करने का निवेदन किया तथा यह भी तर्क दिया कि श्रीमान् न्यायालय द्वारा दिनांक 19–8–17 को प्रतिवादी सं. 1 व 2 का जवाब बन्द किया गया था उसकी अगली तारीख पर ही प्रतिवादी ने जवाबदावा पेश कर जवाबदावे को रिकार्ड पर लेने के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिया था इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार प्रतिवादी को विचारण का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। इससे वादी के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा। न्यायहित में प्रार्थनापत्र स्वीकार करने की कृपा करें।

वादी की ओर से विरोध में तर्क प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रकरण में जवाबदावे हेतु काफी अवसर दिये जा चुके हैं उसके बाद न्यायालय द्वारा 19–8–17 को

जवाबदावा बंद कर दिया गया इतने लम्बे समय तक जवाबदावा पेश नहीं किया गया इसलिए प्रार्थनापत्र खारिज करने के कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया हालांकि प्रतिवादी सं. 1 व 2 की तामील पूर्व में हो चुकी थी, उसके पश्चात प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जो 3–4 साल तक विचाराधीन रहा। उक्त प्रार्थनापत्र के कारण हो सकता है कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्व ारा जवाबदावा पेश नहीं किया गया। हालांकि इस बीच प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर देना चाहिए था लेकिन पत्रावली में आदेशिकाओं के अवलोकन से प्रतीत हो रहा है कि पत्रावली आदेश 7 नियम 11 के जवाब हेतु विचाराधीन रही है तथा दिनांक 19–8–17 को न्यायालय द्व ारा जवाबदावा प्रतिवादी सं. 1 व 2 का बंद कर दिया गया। उसकी अगली तारीख पर ही प्रार्थनापत्र मय जवाबदावा पेश किया गया। हालांकि विलम्ब कारित अवश्य हुआ है लेकिन पत्रावली में अभी साक्ष्य नहीं आई है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार किसी पक्षकार को अपना पक्ष रखने से केवल मात्र विलम्ब होने के कारण वंचित नहीं करना चाहिए, फिर वादी के अधिकारों पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा, जो विलम्ब हुआ है उसको कोस्ट के जरिये शमन किया जा सकता है।

लिहाजा उक्त विवेचनानुसार प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 148 सपठित 151 सीपीसी. 2000/– कोस्ट पर स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली में पूर्व से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी. का प्रार्थनापत्र विलम्बित है लेकिन अंतिम आदेशिकाओं में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी. के प्रार्थनापत्र का कोई हवाला नहीं है। लेकिन उक्त प्रार्थनापत्र अभी निर्णीत नहीं हुआ है। प्रतिवादी सं. 3 की ओर से एक प्रार्थनापत्र आदेश 19 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी. पेश किया गया जिसके जवाब व बहस तथा बहस प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी. हेतु दिनांक..... को पेश हो।

दी.विविध सं. 19/13 सज्जन देवी/नगर सुधार न्यास

1–9–2018

अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित।

अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 148 सपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं.1 व 2 द्वारा अपने प्रार्थनापत्र धारा 148 सपठित धारा 151 सीपसी. के अनुरूप तर्क प्रस्तुत किया गया कि गत पेशी दिनांक 19–8–17 को उसका जवाब बंद किया गया था, अप्रार्थी एक संस्था होकर जन हित के कार्य करती है। अप्रार्थी की भूल मानवीय भूल होने के कारण क्षम्य है अतः जवाब को रिकार्ड पर लेकर सदभाविक भूल क्षम्य करने का निवेदन किया तथा यह भी तर्क दिया कि श्रीमान् न्यायालय द्वारा दिनांक 19–8–17 को अप्रार्थी सं. 1 व 2 का जवाब बन्द किया गया था उसकी अगली तारीख पर ही अप्रार्थी ने जवाब पेश कर उसे रिकार्ड पर लेने के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिया था इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार उसे विचारण का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। इससे प्रार्थी के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा। न्यायहित में प्रार्थनापत्र स्वीकार करने की कृपा करें।

प्रार्थी की ओर से विरोध में तर्क प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रकरण में जवाब हेतु काफी अवसर दिये जा चुके हैं उसके बाद न्यायालय द्वारा 19–8–17 को जवाब बंद कर दिया गया इतने लम्बे समय तक जवाब पेश नहीं किया गया इसलिए प्रार्थनापत्र खारिज करने के कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया हालांकि अप्रार्थी सं. 1 व 2 की तामील पूर्व में हो चुकी थी, उसके

पश्चात प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जो 3–4 साल तक विचाराधीन रहा। उक्त प्रार्थनापत्र के कारण हो सकता है कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 के द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। हालांकि इस बीच अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर देना चाहिए था दिनांक 19–8–17 को न्यायालय द्वारा जवाबदावा प्रतिवादी सं. 1 व 2 का बंद कर दिया गया। उसकी अगली तारीख पर ही प्रार्थनापत्र मय जवाब पेश किया गया। हालांकि विलम्ब कारित अवश्य हुआ है लेकिन पत्रावली में अभी साक्ष्य नहीं आई है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार किसी पक्षकार को अपना पक्ष रखने से केवल मात्र विलम्ब होने के कारण वंचित नहीं करना चाहिए, फिर प्रार्थी के अधिकारों पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।

लिहाजा उक्त विवेचनानुसार अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 148 सपठित 151 स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बहस टीआई. दिनांक..... को पेश हो। तब तक पूर्व आदेश प्रभावी रहेगा।